


## // प्रेस विज्ञप्ति //

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत अपात्र परिवारों के नामों को स्थायी प्रतिक्षा सूची (PWL) से ग्राम सभा अनुमोदन उपरांत अपात्र परिवारों का नाम विलोपित करने हेतु दावा-आपत्ति के लिए सूची का प्रकाशन

—00—

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिले के चारों जनपद पंचायत बोड़ला, कवर्धा, पण्डरिया एवं स.लोहारा में संधारित स्थायी प्रतिक्षा सूची (PWL) में विभिन्न कारणों से अपात्र पाये गये परिवारों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे सभी परिवारों का नाम स्थायी प्रतिक्षा सूची (PWL) से जनपद पंचायत बोड़ला – 604, कवर्धा – 426, पण्डरिया – 434, स.लोहारा – 386, कुल – 1850, नामों को विलोपित किये जाने हेतु ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत सूची प्राप्त हुआ है। प्राप्त सूची को गठित जांच समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अपीलीय समिति के समक्ष अनुमोदन पश्चात स्थायी प्रतिक्षा सूची से विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना है, सूची जिले के सूचना पटल पर चस्पा की गई है इसके अतिरिक्त जिले के वेबसाइट [www.kawardha.gov.in](http://www.kawardha.gov.in) पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

प्रकाशित सूची में दर्शित परिवारों के संबंध में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 31/12/2020 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम में प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत कबीरधाम